न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 37 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. घमण्डाराम पुत्र चिमाराम 2. पूंजाराम पुत्र चिम्माराम जाति मेघवाल निवासी रातड़ी(भीयाड़) तहसील शिव जिला बाड़मेर।	बनाम	1.भोजाराम पुत्र मूलाराम 2.कुम्भाराम पुत्र चिमाराम 3.नैनाराम पुत्र हदाराम 4.गुणेशाराम पुत्र चिमाराम जाति मेघवाल निवासी रातड़ी, भीयाड़ शिव 5.तेजाराम पुत्र रतनाराम 6.सुरताराम पुत्र रतनाराम जाति मेघवाल निवासी रूपासरिया तहसील शिव। 7.मुकनाराम पुत्र तगाराम 8.होथीलाल पुत्र ताजाराम 9.रूपचंद पुत्र ताजाराम 10.देवीलाल पुत्र ताजाराम 11.श्रीमती छगनी पत्नी ताजाराम 12.धर्माराम पुत्र बागाराम 13.हुकमाराम पुत्र बागाराम 14.भूराराम पुत्र तगाराम 15.गेमराराम पुत्र तगाराम 16.सगराम पुत्र नरसिंगाराम 17.गोरधनराम पुत्र नरसिंगाराम 18.अणदाराम पुत्र नरसिंगाराम 19.खेमाराम पुत्र नरसिंगाराम 20.केवलराम पुत्र मगाराम जाति मेघवाल निवासी रूपासरिया, भीयाड़ तहसील शिव। 21.चुतराराम पुत्र सताराम 22.गंगाराम पुत्र धुड़ाराम 23.मंगनाराम पुत्र रतनाराम 24.श्रीमती राजोंदेवी पत्नी करनाराम 25.श्रीमती चुन्नीदेवी पत्नी रामाराम जाति जाट निवासी रूपासरिया तहसील शिव। 26.श्रीमती तगीदेवी पत्नी हदाराम 27.चेलाराम पुत्र हदाराम जाति मेघवाल निवासी रातड़ी, भीयाड़ तहसील शिव। 28.नारायणसिंह पुत्र मूलाराम 29.धन्नाराम पुत्र मूलाराम 30.पन्नाराम पुत्र तेजाराम 31.श्रीमती रामूदेवी पत्नी तेजाराम जाति जाट निवासी रातड़ी तहसील

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

शिव।
32.कबीराराम पुत्र काछूराम
33.नारणाराम पुत्र काछूराम जाति भील निवासी रातड़ी तहसील शिव
34.सरपंच, ग्राम पंचायत भीयाड़
35.शाखा प्रबन्धक, बीएलडीबी शाखा
36.शाखा प्रबन्धक, आईसीआईसी बैंक शाखा भीयाड़।
37.शाखा प्रबन्धक, आरएमजीबी शाखा भीयाड़।
38.शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा उण्डू।
39.शाखा प्रबन्धक, एसबीआई शाखा शिव।
40.श्रीमान तहसीलदार शिव।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर शिव के राजस्व आवेदन संख्या 331/2017 बअनवान भोजाराम वगैरा बनाम मुकनाराम में पारित निर्णय दिनांक 19.06.2018 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री बालाराम गोदारा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री राऊराम चौधरी रेस्पोडेण्ट संख्या 1से 3 व 5,6,22,23, 28 की ओर से।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः— 28.05.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 से 06 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 956,955,1210/1130,967 मौजा रातड़ी व खसरा संख्या 1124/958 मौजा रूपासरिया में अवस्थित है। जिनके मध्य विप्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 967, 1130/967 प्रार्थीगण के खेत व सड़क मध्य पड़ते है। प्रार्थीगण को अपने खेत में से चलने वाली कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। बरसात के मौसम में विप्रार्थीगण अपनी अन्य भूमि के साथ साथ रास्ते की भूमि पर भी काश्त कर लेते है, जिससे प्रार्थीगण का आवागमन अवरूद्ध हो जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण के नोटिस अपीलांटगण से कभी भी व्यक्तिगत रूप से तामिल नहीं हुऐ, जिस कारण अपीलांटगण को उक्त प्रकरण की

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

जानकारी नहीं हो सकी। अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार शिव स्वयं ने मौका रिपोर्ट तैयार नहीं कर हल्का पटवारी व आर.आई. से मौका रिपोर्ट हेतु आदेश किया, जिस पर हल्का पटवारी व आर.आई. ने अधीनस्थ न्यायालय में एकपक्षीय मौका रिपोर्ट तैयार कैम्प भीयाड़ में दिनांक 30.05.2018 को पेश हुई परन्तु प्रकरण का निस्तारण नहीं हो सका तथा पत्रावली दिनांक 19.06.2018 को नियत की गई, जिस पर पत्रावली दिनांक 19.06.2018 को दूसरी ग्राम पंचायत हाथीसिंह का गांव के कैम्प में रखी गई, जिस संबंध में अपीलांटगण को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई तथा अपीलांटगण की अनुपस्थिति में आलोच्य आदेश पारित किया गया जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित तीनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है तथा अपीलांट को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण के नोटिस अपीलांटगण से कभी भी व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं हुऐ, जिस कारण अपीलांटगण को उक्त प्रकरण की जानकारी नहीं हो सकी। अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार शिव स्वयं ने मौका रिपोर्ट तैयार नहीं कर हल्का पटवारी व आर.आई. से मौका रिपोर्ट हेतु आदेश किया, जिस पर हल्का पटवारी व आर.आई. ने अधीनस्थ न्यायालय में एकपक्षीय मौका रिपोर्ट तैयार कैम्प भीयाड़ में दिनांक 30.05.2018 को पेश हुई परन्तु प्रकरण का निस्तारण नहीं हो सका तथा पत्रावली दिनांक 19.06.2018 को नियत की गई, जिस पर पत्रावली दिनांक 19.06.2018 को दूसरी ग्राम पंचायत हाथीसिंह का गांव के कैम्प में रखी गई, जिस संबंध में अपीलांटगण को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई तथा अपीलांटगण की अनुपस्थिति में आलोच्य आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी व विधिक प्रक्रिया का पालन न करते हुऐ अपनी मनमर्जी से गलत रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि के प्रावधानों के विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 956,955,1210/1130,967 मौजा रातड़ी व खसरा संख्या 1124/958 मौजा रूपासरिया में जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण/उतरदातागण 1 से 6 ने अपने खेत खसरा संख्या 570, 972,971,967,956 ग्राम रातड़ी तथा खेत खसरा संख्या 959 ग्राम रूपासरिया में जाने हेतु खसरा संख्या 970, 972, 971, 967 व 956 ग्राम रातड़ी व खसरा संख्या <u>958</u> ग्राम रूपासरिया में से अपने आवेदन दिनांक 12.10.2017 से रास्ता चाहा। जिसे बाद में बिना मार्क किये एवं बिना आदेशिका में इसके उल्लेख के एक आवेदन हुआ जिसमें पूर्व के आवेदन में संशोधन करते हुए अकारण एवं आधारहीन रिपोर्ट ली गई। मौका रिपोर्ट भी संदग्धि है। मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार को लिखी तहरीर <u>जून</u> माह की है जबकि फर्द मोका बिना तारीख की माह <u>मई</u> की है जो संलग्न पत्रावली है। मूल आवेदन तथा बाद में प्रस्तुत तथाकथित संशोधित आवेदन से तथ्यों को ही परिवर्तित करके रिपोर्ट ली गई। इससे साफ जाहिर है कि मामले में आवेदन की विषय–वस्तु एवं उस पर अपीलांटगण/अप्रार्थी को समुचित अवसर दिये जाकर सुनवाई नहीं हुई। इसलिए अपीलाधीन निर्णय का विधि की दृष्टि मे कोई अर्थ नहीं इसलिए इसे अपास्त किया जाना उचित है।

अतः लिहाजा अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 331/2017 बअनवान भोजाराम वगैरा बनाम मुकनाराम में पारित निर्णय दिनांक 19.06.2018 को अपास्त कर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह आवेदकों से स्पष्ट करावे कि उनको अपनी खातेदारी के अमुक खेतों तक पहुंचने हेतु अमुक अप्रार्थीगणों के अमुक खसरों मे से रास्ता चाहिए तथा तदनुसार पक्षकारों को सुना जाकर स्पष्ट मौका रिपोर्ट प्राप्त कर नये सिरे से गुणावगुण पर निर्णय पारित करे।

28/5/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 28.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/5/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner